झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

वन भूमि उपयोग
एवं
सूखे वृक्षों को हटाना

सुगम प्रक्रिया

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

वन भूमि उपयोग एवं सूखे वृक्षों को हटाना - सुगम प्रक्रिया

विषय सूची

क्रमांक	विवरणी	पृष्ठ सं.
1,	वन भूमि का विभागीय योजनाओं में उपयोग	5–21
2.	सरकारी परिसर में अवस्थित सूखे या आंधी–तूफान में गिरे हुए वृक्षों को हटाना	22–24

अपर मुख्य सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 27.07.2012 को वन भूमि का विभागीय योजनाओं में उपयोग करने की अनुमति की प्रक्रिया से संबंधित विषय पर आयोजित बैठक की कार्यवाही।

(क) उपस्थिति :–

1.	अपर मुख्य सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	–	मो. नं. : 9934316817
2.	अभियंता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	–	मो. नं. : 9431171291
3.	अभियंता प्रमुख के प्रौद्योगिक सचिव,	–	मो. नं. : 9341142476
4.	स्टेट कोऑर्डिनेटर (तकनीकी), राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन	–	मो. नं. : 9431107671
5.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन विभाग राँची पूर्व	–	मो. नं. : 9431104118
6.	प्रमंडलीय प्रबंधक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम	–	मो. नं. : 8987619813
7.	संयुक्त सचिव (प्रबंधन कोषांग), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	–	मो. नं. : 9431391265

(ख) ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं/शहरी जलापूर्ति योजनाओं में जलमीनार/जलशोध संस्थान का निर्माण कार्य वन विभाग की भूमि/पहाड़ी पर करने के संबंध में।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से बतलाया गया कि विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर ग्रामीण एवं शहरी जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में किया जाता है। इन योजनाओं में मुख्य अवयव जलशोध संस्थान एवं जलमीनार है, जिसमें भूमि की आवश्यकता होती है। इन योजनाओं में कई जगह विभिन्न विभागों का सरकारी जमीन उपलब्ध रहता है एवं कई जगह निजी भूमि का अधिग्रहण करना होता है। निजी भूमि का अधिग्रहण की सरकारी प्रक्रिया काफी जटिल है एवं अधिक समय लगता है जिसके चलते योजनाओं के क्रियान्वयन में काफी विलम्ब होता है। जमीन उपलब्ध होने में कभी–कभी डेढ़–दो वर्ष भी लग जाता है एवं तब तक संवेदक के एकरारनामा के अनुसार कार्य करने की अवधि समाप्त हो जाती है एवं संवेदक उक्त दर पर कार्य कराने को तैयार नहीं होते हैं। नये दर पर कार्य कराने में उक्त अवयव के दर में काफी बढ़ोतरी हो जाती है एवं सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है।

सामान्यतः 1 लाख गैलन क्षमता (5.0 लाख लीटर लगभग) से 3 लाख गैलन क्षमता (14.0 लाख लीटर

लगभग) का जलमीनार मुख्य रूप से निर्माण किया जाता है, जिसे क्रमशः 10 डिसमल (20M X 20M) एवं 22 डिसमल (30M X 30M) जमीन आवश्यकता होती है। जलशोध संस्थान की क्षमता 5 MLD से 10 MLD तक होती है, जिसके लिये क्रमशः 0.75 एकड़ (60M X 60M) एवं 1.2 एकड़ (80M X 80M) जमीन की आवश्यकता होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर जगह पहाड़ी (Hillocks) रहता है, जिसपर यदि जलमीनार बनाया जाए तो इस जलमीनार से जलापूर्ति किये जाने वाले क्षेत्रों में Gravity से जलापूर्ति हो सकती है एवं Staging के Cost की बचत होगी। Hillocks पर यदि WTP बनाया जाय तो भी Gravity से जलापर्ति हो सकती है एवं पम्पिंग के Cost की बचत होगी किन्तु ये सभी पहाड़ी वन विभाग के अधीन होता है एवं वन विभाग से जमीन हस्तान्तरण की प्रक्रिया काफी जटिल है। अतः प्रस्ताव है कि जलापूर्ति योजनाओं हेतु 1.5 एकड़ तक की जमीन उपायुक्त के आदेश से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को अधियाचना प्राप्त होने के उपरान्त उपलब्ध करा दिया जाय।

इसी तरह यदि अन्य सरकारी विभागों का जमीन है तो उसे उपायुक्त अपने स्तर से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को हस्तांतरण करा देंगे। इस संबंध में वन पदाधिकारी राँची पूर्व के द्वारा निम्नलिखित जानकारी दी गई :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम एवं नियम 2008 के अध्याय–2 की कंडिका – 2 में अंकित 13 कार्यों – (क) विद्यालय, (ख) औषधीय अस्पताल (ग) आँगनबाड़ी (घ) उचित कीमत की दुकानें (ङ) विद्युत और दूर संचार लाईने (च) टंकियाँ और अन्य लघु जलाशय (छ) पेयजल की आपूर्ति और जल पाइप लाईनें (ज) जल या वर्षा जल संचय संरचनाएँ (झ) लघु सिंचाई नहरें (ञ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत (ट) कौशल उन्नयन या व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (ठ) सड़कें (ड) सामुदायिक केन्द्र के लिए जिसमें वनभूमि का गैर वानिकी उपयोग किया जाना है एवं इसके अन्तर्गत प्रति हेक्टेयर 75 से अनधिक पेड़ों का गिराया जाना भी है तथा ऐसे मामले में वन भूमि का अधिकतम रकबा 1 हेक्टेयर से कम है, तो ग्राम सभा की सिफारिश पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप उक्त अधिनियम के तहत् जिला स्तरीय समिति से अनुमति प्रदान की जानी है। उक्त समिति के अध्यक्ष जिले के उपायुक्त होंगे। समिति में वन प्रमंडल पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी एवं जिला स्तर की पंचायत के द्वारा नाम निर्देशित तीन अन्य सदस्य सहित कुल 5 सदस्य होंगे। जिला स्तर की पंचायत से नाम निर्देशित तीन सदस्यों में से कम से कम 2 अनुसूचित जनजातियों के एवं एक महिला सदस्य होंगी।

अधिनियम के अध्याय – 2 की हिन्दी एवं अंग्रेजी में छाया प्रतियाँ सुगम प्रसंग हेतु संलग्न है जो पूरे राज्य में लागू है।

धन्यवाद के पश्चात् बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

अनु : यथोपरि

7.11.12

(सुधीर प्रसाद)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : सरकारी परिसर में वृक्ष हटाने हेतु – 394/12–1460/SWSM दिनांक : 7–11–2012

Email/ Courier

प्रतिलिपि – अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित सचिव, वन विभाग, झारखण्ड/प्रधान वन संरक्षक, वन विभाग, वन भवन, डोरण्डा, झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड, राज्य वन विकास निगम, 177c रोड नं.–4, अशोकनगर राँची/वन प्रमंडल पदाधिकारी राँची पूर्वी वन प्रमंडल राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

7.11.12

(शरदेन्दु नारायण)

अभियंता प्रमुख–सह–सदस्य सचिव

ज्ञापांक : सरकारी परिसर में वृक्ष हटाने हेतु – 394/12–1460/SWSM दिनांक : 7–11–2012

Email/ Courier/ Fax

प्रतिलिपि : अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित मुख्य अभियंता, पी.एम.यू., राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राँची/दुमका/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक को छोड़कर), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक को छोड़कर), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

7.11.12

(शरदेन्दु नारायण)

अभियंता प्रमुख–सह–सदस्य सचिव

2003 का 18 (ढ) ''सतत् उपयोग'' का वही अर्थ होगा, जो जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (ण) में है;

(ण) ''अन्य परम्परागत वन निवासी'' से ऐसा कोई सदस्य या समुदाय अभिप्रेत है, जो 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियों तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि में निवास करता रहा है और जो जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर है

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजन के लिए ''पीढ़ी'' से पच्चीस वर्ष की अवधि अभिप्रेत है;

(त) ''ग्राम'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है –

1996 का 40 (i) पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई ग्राम, या

(ii) अनुसूचित क्षेत्रों से भिन्न पंचायतों से संबंधित किसी राज्य विधि में ग्राम के रूप में निर्दिष्ट कोई क्षेत्र; या

(iii) वन ग्राम पुरातन निवास या बस्तियाँ और असर्वेक्षित ग्राम, चाहे वे ग्राम के रूप में अधिसूचित हो या नहीं; या

(iv) उन राज्यों की दशा में, जहाँ पंचायतें नहीं हैं, पारम्परिक ग्राम, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों

1972 का 53 (थ) ''वन्य पशु'' से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 से 4 में विनिर्दिष्ट पशु की ऐसी प्रजातियाँ अभिप्रेत हैं, जो प्रकृति में वन्य के रूप में पाई जाती है

अध्याय – 2

वन अधिकार

3. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के सभी वनभूमि पर

निम्नलिखित वन अधिकार होंगे, जो व्यक्तिगत या सामुदायिक भूधृति या दोनों को सुरक्षित करते हैं अर्थात् :–

वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकार

(क) वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों द्वारा निवास के लिए या जीविका के लिए स्वयं खेती करने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक अधिभोग के अधीन वन भूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार;

(ख) निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जिनके अंतर्गत तत्कालीन राजाओं के राज्यों, जमींदारों या ऐसे अन्य मध्यवती शासनों में प्रयुक्त अधिकार भी सम्मिलित हैं;

(ग) गौण वन उत्पादों के, जिनका गाँव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से संग्रह किया जाता रहा है स्वामित्व संग्रह करने के लिए पहुँच, उनका उपयोग और व्ययन का अधिकार रहा है;

(घ) यायावरी या चारागाही समुदायों की मत्स्य और जलाशयों के अन्य उत्पाद, चरागाह (स्थापित और घुमक्कड़ दोनों) के उपयोग या उन पर हकदारी और पारम्परिक मौसमी संसाधनों तक पहुँच के अन्य सामुदायिक अधिकार,

(ङ) वे अधिकार, जिनके अंतर्गत आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के लिए गृह और आवास की सामुदायिक भू–धृतियाँ भी हैं;

(च) किसी ऐसे राज्य में, जहाँ दावे विवादग्रस्त हैं, किसी नाम पद्धति के अधीन विवादित भूमि में या उस पर के अधिकार;

(छ) वन भूमि पर हक के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी पट्टों या धृतियों या अनुदानों के संपरिवर्तन के अधिकार;

(ज) वनों के सभी वन ग्रामों, पुराने आवासों, असर्वेक्षित ग्रामों और अन्य ग्रामों के बसने और संपरिवर्तन के अधिकार, चाहे वे राजस्व ग्रामों में लेखबद्ध हों अधिसूचित हों अथवा नहीं;

(झ) ऐसे किसी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनरुज्जीवित या

संरक्षित या प्रबंध करने का अधिकार, जिसकी वे सतत् उपयोग के लिए परंपरागत रूप से संरक्षा और संरक्षण कर रहे हैं;

(ञ) ऐसे अधिकार, जिनको किसी राज्य की विधि या किसी स्वशासी जिला परिषद् या स्वशासी क्षेत्रीय परिषद् की विधियों के अधीन मान्यता दी गई है या जिन्हें किसी राज्य की सम्बन्धित जनजाति की किसी पारम्परिक या रूढ़ीगत विधि के अधीन जनजातियों के अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है;

(ट) जैव विविधता तक पहुँच का अधिकार और जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता से सम्बन्धित बौद्धिक सम्पदा और पारंपरिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार;

(ठ) कोई ऐसा अन्य पारंपरिक अधिकार जिसका, यथास्थिति, वन में निवास करने वाली उन अनुसूचित जनजातियों या अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा रूढ़िगत रूप से उपभोग किया जा रहा है, जो खंड (क) से खंड (ट) में वर्णित हैं, किन्तु उनमें किसी प्रजाति के वन्य जीव का शिकार करने या उन्हें फँसाने या उनके शरीर का कोई भाग निकालने का परंपरागत अधिकार नहीं है;

(ड) यथावत पुनर्वास का अधिकार, जिसके अंतर्गत उन मामलों में अनुकल्पिक भूमि भी है जहाँ अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को 13 दिसम्बर, 2005 के पूर्व किसी भी प्रकार की वनभूमि से पुनर्वास के उनके वैध हक प्राप्त किये बिना अवैध रूप से बेदखल या विस्थापित किया गया हो

1980 का 69 (2) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, सरकार द्वारा व्यवस्थित निम्नलिखित सुविधाओं के लिए वन भूमि के परिवर्तन का उपबंध करेगी जिसके अंतर्गत प्रति हेक्टेयर पचहत्तर से अनधिक पेड़ों का गिराया जाना भी है, अर्थात् :–

(क) विद्यालय;

(ख) औषधालय या अस्पताल;

(ग) आँगनबाड़ी ;

(घ) उचित कीमत की दुकानें ;

(ङ) विद्युत और दूरसंचार लाइनें ;

(च) टंकियाँ और अन्य लघु जलाशय ;

(छ) पेयजल की आपूर्ति और जल पाइपलाइनें ;

(ज) जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएँ ;

(झ) लघु सिंचाई नहरें ;

(ञ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत ;

(ट) कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र ;

(ठ) सड़कें ; और

(ड) सामुदायिक केन्द्र ;

परंतु वन भूमि के ऐसे परिवर्तन को तभी अनुज्ञात किया जायेगा, जब –

(i) इस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए परिवर्तित की जाने वाली वनभूमि ऐसे प्रत्येक मामले में एक हेक्टेयर से कम है ; और

(ii) ऐसी विकासशील परियोजनाओं की अनापत्ति इस शर्त के अधीन रहते हुए होगी कि उसकी सिफारिश ग्राम सभा द्वारा की गई हो।

(n) 'Sustainable use' shall have the same meaning as assigned to it in clause (o) of section 2 of the Biological Diversity Act 2002;

18 of 2003

(o) 'other traditional forests dweller' means any member or community who has for at least three generations prior to the 13th day of December, 2005 primarily resided in and who depend on the forest or forests land for bona fide livelihood needs.

Explanation – For the purpose of this clause, 'generation' means a period comprising of twenty-five years;

40 of 1996

(p) 'Village' means –

(i) A village referred to in clause (b) of section 4 of the Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996; or

(ii) Any area referred to as a village in any State law relating to Panchayats other than the Scheduled Areas; or

(iii) Forest villages, old habitation or settlements and unserveyed villages, whether notified as village or not; or

(iv) In the case of States where there are no Panchayats, the tradition village, by whatever name called;

53 of 1972

(q) 'Wild animal' means any species of animal specified in Schedules I to IV of the wild Life (Protection) Act, 1972 and found wild in nature.

CHAPTER-II

FOREST RIGHTS

Forest rights of Forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers

3. (1) For the purpose of this Act, the followings rights, which secure individual or community tenure or both, shall be the forest rights of forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers on all forest lands, namely :-

(a) Right to hold and live in the forest land under the individual or common occupation, for habitation or for self-cultivation for livelihood by a member or members of a forest dwelling Scheduled Tribe or other traditional forest dwellers;

(b) Community rights such as nistar, be whatever name called, including those used in erstwhile Princely States, Zamindari or such intermediary regimes;

(c) Right of ownership, access to collect, use, and dispose of minor forest produce which has been traditionally collected within or outside village boundaries;

(d) Other community rights of uses of entitlements such as fish and other products of water bodies, grazing (both settled or transhumant) and traditional seasonal resource access of nomadic or pastoralist communities;

(e) Rights including community tenures of habitat and habitation for primitive tribal groups and pre-agricultural communities;

(f) rights in or over disputed lands under any nomenclature in any State where claims are disputed;

(g) rights for conversion of Pattas or leases or grants issued by any local authority or any State Government on forest lands to titles;

(h) Rights of settlement and conversion of all forest villages, old habitation, unsurveyed villages and other villages in forests, whether recorded, notified or not into revenue villages;

(i) right to protect, regenerate of conserve or manage any community forest resource which they have been traditionally protecting and conserving for sustainable use;

(j) Rights which are recognised under any State law or laws of any Autonomous District Council or Autonomous Regional Council or which are accepted as rights of tribals

under any traditional or customary law of the concerned tribes of any State;

(k) Right of access to biodiversity and community right to intellectual property and traditional knowledge related to biodiversity and culture diversity;

(l) Any other traditional right customarily enjoyed by the forest dwelling scheduled Tribes or other traditional forest dwellers, as the case may be, which are not mentioned in clauses (a) to (k) but excluding the traditional right of hunting or trapping or extracting a part of the body of any species of wild animal;

(m) Right to in situ rehabilitation including alternative land in cases where the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers have been illegally evicted or displaced from forest land of any description without receiving their legal entitlement to rehabilitation prior to the 13th day of December, 2005; 69 of 1980

(2) Notwithstanding anything contained in the Forest (Conservation) Act, 1980, the Central Government shall provide for diversion of forest land for the following facilities managed by the Government which involve felling of trees not exceeding seventy-five trees per hectare, namely :-

(a) schools;

(b) dispensary or hospital;

(c) anganwadis;

(d) fair price shops;

(e) electric and telecommunication lines;

(f) tanks and other minor water bodies;

(g) drinking water supply and water pipelines;

(h) water or rain water harvesting structures;

(i) minor irrigation canals;

(j) non-conventional source of energy;

(k) skill upgradation or vocational training centres;

(l) roads; and

(m) community centres;

Provided that such diversion of forest land shall be allowed only if-

–

(i) The forest land to be diverted for the purposes mentioned in this sub-section is less than one hectare in each case; and

(ii) The clearance of such developmental projects shall be subject to the condition that the same is recommended by the Gram Sabha.

पत्र संख्या–3/वन भूमि–16/2010– व.प.

झारखण्ड सरकार

वन एवं पर्यावरण विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति,
वन अधिकार अधिनियम, 2006

राँची, दिनांक –

विषय :– वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत वन भूमि अपयोजन के मामलों में अनुसूचित जन–जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–2659 दिनांक'28.07.10 एवं ज्ञापांक–2682 दिनांक–30.07.10

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि अपयोजन के मामलों में अनुसूचित जन–जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिशा–निर्देश एवं प्रपत्र उपलब्ध कराया गया था। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11–9/98–FC(Pt.) दिनांक–15.01.14 तथा 05.07.13 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस संदर्भ में संशोधित दिशा–निर्देश एवं प्रपत्र निर्गत किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि भारत सरकार के उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार वन भूमि अपयोजन के प्रस्तावों के साथ अनुसूचित जन–जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु संशोधित विहित प्रपत्र में प्रमाण–पत्र संबंधित अभिलेखों के साथ समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु.–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–3/वन भूमि–16/2010–1758 व.प., राँची, दिनांक – 03/04/2014

प्रतिलिपि : सभी प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड सरकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड/सभी वन संरक्षक, झारखण्ड/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, झारखण्ड/मुख्य सचिव के आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/4/14

सरकार के उप सचिव

F.No. 11-9/98-FC (pt.)
Government of India
Ministry of Environment & Forests
(FC Division)

Paryavaran Bhawan
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110 003
Dated : 15th January, 2014

To,

The Principal Secretary (Forests),
All State / Union Territory Governments

Sub : Diversion of forest land for non-forest purposes under the forest (Conservation) Act, 1980 - ensuring compliance of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letters of even number dated 5th July 2013 on the above-mentioned subject where under this Ministry sent a copy of formats for submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, and to clarify further as below in respect of certificates required for linear projects (Form-I) and other than linear projects (Form-II) :

(i) Form - II for projects other than linear projects stipulates certificate form the district collector on six counts, including consent of gram sabha for the project, as provided in clause (b) (c) and (d) of the format. Whereas Form-I for linear projects stipulates certificates from the concerned district collector on only three counts which do not include consent form the gram sabha concerned for the linear project per se;

(ii) The 'consent' stipulated in phrase ".....Gram Sabhas have given their consent to it....." appearing in clause (b) of Form-I for linear projects is for diversion of forest land for the facilities managed by Government in accordance with the provisions of section 3 (2) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006; and

(iii) It is re-iterated that as mentioned by this Ministry in its letter of even number dated 5th February 2013, after consultation and concurrence of the Ministry of Tribal Affairs, linear projects, except those involving recognised right to Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, are exempted from requirement of obtaining consent for such projects from each concerned Gram Sabha.

Yours Faithfully

(H.C. Chaudhary)
Assistant Inspector General of Forests

Copy To :

1. The Secretary, Ministry of Tribal Affairs, New Delhi.
2. Principal Chief Conservator of Forests, all State/UT Governments.
3. Nodal Officer, The Forest (Conservation) Act, 1980, all State/UT Governments.

4. All Regional Offices, Ministry of Environment & Forests.
5. Joint Secretary in-charge, Impact Assessment Division, MoEF.
6. All Assistant Inspector General of Forests/Directors in Forest Conservation Division, MoEF.
7. Director R.O. (HQ), Ministry of Environment & Forests, New Delhi.
8. Sr. Director (Technical), NIC MoEF with a request to place a copy of the letter on website of this Ministry.
9. Guard File.

(H.C. Chaudhary)
Assistant Inspector General of Forests

F.No. 11-9/98-FC (pt.)
Government of India
Ministry of Environment & Forests
(FC Division)

Paryavaran Bhawan
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110 003
Dated : 5th July, 2013

To,

The Principal Secretary (Forests),
All State / Union Territory Governments

Sub : Diversion of forest land for non-forest purpose under the Forest (Conservation) Act, 1980 - ensuring compliance of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letters of even number dated 3rd August 2009 and dated 5th February 2013 on the above mentioned subject wherein this Ministry issued detailed guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Schedules Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, and to say that certificate in accordance with the said letters in respect of (a) linear, and (b) other projects shall be submitted in the formats enclosed as Annexure-I (FORM-I) and Annexure-II (FORM-II) respectively.

Encl. : As above

Yours faithfully,

05/07/2013

(H.C. Chaudhary)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to :

1. The Secretary, Ministry of Tribal Affairs, New Delhi.
2. Principal Chief Conservator of Forests, all State/UT Governments.
3. Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, all State/UT Governments.
4. All Regional Offices, Ministry of Environment & Forests.
5. Joint Secretary in-charge, Impact Assessment Division, MoEF.
6. All Assistant Inspector General of Forests / Directors in Forest Conservation Division MoEF.
7. Director R.O. (HQ), Ministry of Environment & Forests, New Delhi.
8. Sr. Director (Technical), NIC, MoEF with a request to place a copy of the letter on website of this Ministry.
9. Guard File.

05/07/2013

(H.C. Chaudhary)
Assistant Inspector General of Forests

Annexure-I

FORM-I
(for linear projects)
Government of .....
Office of the District Collector .....
*****

No. ..... Dated : .....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 Wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that ..... hectares of forest land proposed to be diverted in favour of ..... (name of user agency) for ..... (purpose for diversion of forest land) in ..... district falls within jurisdiction of ..... villages(s) in ..... tehsils.

It is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire ..... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ..... to ..... annexure .....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl. : As above

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

Annexure-II

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of .....

Office of the District Collector .....

*****

No. ..... Dated :

.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 Wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that ..... hectares of forest land proposed to be diverted in favour of ..... (name of user agency) for ..... (purpose for diversion of forest land) in ..... district falls within jurisdiction of ..... villages(s) in ..... tehsils.

It is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire ..... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ..... to ..... annexure .....

(b) the proposal for such diversion (with full details of the projects and its implications, in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dewllers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of ..... village(s) is enclosed as annexure .....to annexure.....

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl. : As above

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

अपर मुख्य सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 27.07.2012 को सरकारी परिसर में अवस्थित सूखे या आँधी–तूफान में गिरे हुए वृक्षों को हटाने की सुगम प्रक्रिया पर आयोजित बैठक की कार्यवाही।

(क) उपस्थिति :–

1.	अपर मुख्य सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	–	मो. नं. : 9934316817
2.	अभियंता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	–	मो. नं. : 9431171291
3.	अभियंता प्रमुख के प्रौद्योगिक सचिव,	–	मो. नं. : 9341142476
4.	स्टेट कोऑर्डिनेटर (तकनीकी), राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन	–	मो. नं. : 9431107671
5.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन विभाग राँची पूर्व	–	मो. नं. : 9431104118
6.	प्रमंडलीय प्रबंधक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम	–	मो. नं. : 8987619813
7.	संयुक्त सचिव (प्रबंधन कोषांग), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	–	मो. नं. : 9431391265

(ख) सरकारी परिसर में अवस्थित सूखे या आँधी–तूफान में गिरे हुए वृक्षों को हटाने की सुगम प्रक्रिया

अभियंता प्रमुख ने बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव रखा –

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विभागीय परिसर, जलशोधन संस्थान इत्यादि में अवस्थित सूखे या आँधी–तूफान में गिरे हुए वृक्षों को परिसर स्थित भवन या जान–माल की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अल्पावधि में हटाने की आवश्यकता होती है। ऐसे वृक्षों की नीलामी विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा की जाती है।

कई बार यह मामला विवादास्पद हो जाता है तथा विभागीय अभियंताओं पर आरोप आदि लगा दिया जाता है। अनावश्यक रूप से तब कारण पृच्छा, स्पष्टीकरण का उत्तर, उसकी समीक्षा, आरोप मुक्त करना/सजा देना इत्यादि का दौर चलते रहता है।

पेड़ की नीलामी करना अभियंत्रण कार्य नहीं है। अतएव इसमें विभागीय अभियंताओं की भूमिका सीमित किया जाना चाहिए।

प्रस्ताव है कि नीलामी की पूरी प्रक्रिया वन विभाग के द्वारा संचालित कर नीलामी की राशि उन्हीं के द्वारा

संबंधित शीर्ष में सरकारी कोष में जमा किया जाना चाहिये। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पदाधिकारी के द्वारा मात्र सूचना देना तथा सूचना लेने का कार्य किया जाना चाहिए।

वन प्रमंडल पदाधिकारी राँची पूर्व ने जानकारी दी कि सूखे या आँधी–तूफान में गिरे हुए वृक्षों को हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित Territorial वन प्रमंडल पदाधिकारी को इसकी सूचना दिया जाना चाहिए। वन प्रमंडल पदाधिकारी की ओर से कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा समर्पित वृक्षों की गणना एवं मापी की जांच करायी जाएगी तथा हटाए जाने वाले वृक्षों के Girth की नापी के अनुरूप पातन हेतु अनापत्ति दिया जाएगा।

यदि हटाए जाने वाले वृक्ष सखुआ, सागवान, करम, आसन, बीजा, खैर, सलई या गम्हार प्रजाति के हैं, तो संबंधित कार्यपालक वृक्ष की कटाई कराकर इसे संबंधित जिले के झारखण्ड राज्य वन विकास निगम के डिपो में भेज दिया जाएगा। वन विकास निगम की ओर से इस प्रकार की लकड़ी की नीलामी कर नीलामी की राशि से 10% अपने पास रखकर शेष 90% की राशि को संबंधित शीर्ष में इसे कोषागार में जमा करा दिया जाएगा।

अन्य प्रजाति के वृक्षों का मूल्यांकन करने के पश्चात् संबंधित Territorial वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा इसकी सूचना संबंधित कार्यपालक को दिया जाएगा। संबंधित कार्यपालक अभियंता के द्वारा अपनी ओर से इसकी नीलामी की प्रक्रिया की कार्रवाई की जाएगी। नीलामी में जो राशि आयेगी उसे संबंधित शीर्ष में जमा कर दिया जायेगा।

अभियंता प्रमुख ने बतलाया कि पेड़ों की कटाई अभियंत्रण कार्य नहीं है तथा इसकी दक्षता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की नहीं है इसलिए पेड़ों की कटाई, उसकी नीलामी तथा सरकार के संबंधित शीर्ष में कोषागार में जमा कराने का कार्य भी वन विभाग/झारखण्ड राज्य वन विकास निगम के द्वारा किया जाना चाहिये।

प्रमंडलीय प्रबंधक झारखण्ड राज्य वन विकास विभाग निगम ने बतलाया कि वृक्षों की कटाई के लिए वन विभाग के पास निधि उपलब्ध नहीं रहता है, इसलिए इसकी कटाई करते हुए काटी गई लकड़ी यदि उपर्युक्त 8 प्रजाति के हैं तो उन्हें वन विकास निगम के स्थानीय डिपो में भेजवाना होगा। शेष प्रजाति के लकड़ियों की नीलामी अपने यहाँ से करना होगा।

निर्णय लिया गया कि ऐसे वृक्षों की कटाई के लिए राशि की व्यवस्था से संबंधित कार्यपालक अभियंता कार्यालय आकस्मिकी निधि करेंगे। बाद में नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त निलामी से प्राप्त राशि से इसके कटाई के खर्च की भरपाई के पश्चात् शेष बची राशि संबंधित शीर्ष में कोषागार में जमा किया जाए।

साथ ही वृक्षों के मूल्यांकन का दर पुराना है। इसके पुनरीक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। केवल ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत पड़ने वाले वृक्षों के मूल्यांकन के लिए दर निर्धारित है। अतः शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले वृक्षों

के मूल्यांकन के लिए भी दर निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। उसके लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक को अनुरोध पत्र भेंजे।

धन्यवाद के पश्चात् बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

7.11.12

(सुधीर प्रसाद)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : सरकारी परिसर से वृक्ष हटाने हेतु – 394/12–1461/SWSM दिनांक : 7–11–2012

Email/ Courier

प्रतिलिपि – सचिव, वन विभाग, झारखण्ड/प्रधान वन संरक्षक, वन विभाग, वन भवन, डोरण्डा, झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड, राज्य वन विकास निगम, 177c रोड नं.–4, अशोकनगर, राँची/वन प्रमंडल पदाधिकारी राँची पूर्वी वन प्रमंडल राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

07.11.12

(शरदेन्दु नारायण)

अभियंता प्रमुख–सह–सदस्य सचिव

ज्ञापांक : सरकारी परिसर से वृक्ष हटाने हेतु – 394/12–1461/SWSM दिनांक : 7–11–2012

Email/ Courier/ Fax

प्रतिलिपि – मुख्य अभियंता, पी.एम.यू., राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राँची/दुमका/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक को छोड़कर), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक को छोड़कर), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

07.11.12

(शरदेन्दु नारायण)

अभियंता प्रमुख–सह–सदस्य सचिव